कार्यालय सिविल सोयम वन प्रभाग, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा

पत्रांक 1975/6–1 अल्मोड़ा, 03 मार्च 2010

विज्ञप्ति

वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या क–1230/1–14(3) दिनांक 24 फरवरी 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस वन प्रभाग के अन्तर्गत खुली स्पर्धा (सीधी भर्ती) वन आरक्षी (वन रक्षक) वेतनमान 5200–20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 1800/– के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में (देवनागिरी लिपि में) आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांक 19–03–2010 की सांय 4:00 बजे तक प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पते पर पंजीकृत डाक /कोरियर द्वारा पहुॅच जाने चाहिए। ***रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है जो घट–बढ सकती है।***

प्रभाग का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	-	-	01	02	03

क्षैतिज आरक्षण :– उत्तराखण्ड में प्रवृत्त नियमो के अधीन वर्गवार क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा।

सामान्य अर्हतायें :–
1. अभ्यर्थी भारत का मूल नागरिक हो।
2. अभ्यर्थी के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी ना हो।
3. खुली प्रतिस्पर्घा हेतु अभ्यर्थी पंजीकरण उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।
4. खुली प्रतिस्पर्घा हेतु अभ्यर्थी को नवीन शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. अवर अधीनस्थ 1980 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2005 एवं संशोधित 2007 के नियमावली एवं सुसंगत शासनादेश लागू होगें।

शैक्षिक योग्यता :– अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

आयु सीमा 1 जुलाई 2009 को अभ्यर्थी की आयु :– न्यूनतम 18 एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। (इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी)

शारीरिक अर्हतायें :–

पुरूष अभ्यर्थी :– सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी कीं ऊँचाई और सीने की माप का निम्नलिखित न्यूनतम मानक आवश्यक होगा–

ऊॅचाई – 163 सेमी0

सीना माप – बिना फुलाये 79 सेमी0 फुलाने पर 84 सेमी0

परन्तु यह और कि गोरखा, नेपाली, असमी, मेघालय, लद्दाख, नेफा, नागा, मणीपुर, गढवाली, कुमाऊनी, सिक्कमी और भुटानी उद्गम के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाई की सीमा 158 सेमी0 होगी ।

महिला अभ्यर्थीः :– **न्यूनतम** ऊॅचाई – मैदानी क्षेत्र – 152 सेमी0 पर्वतीय क्षेत्र – 147 सेमी0

न्यूनतम वजन – मैदानी क्षेत्र – 45 किग्रा0 पर्वतीय क्षेत्र – 45 किग्रा0

अधिमानी अर्हताएं :– वर्तमान शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन हेतु अनुमन्य लाभ नियमानुसार देय होंगे ।

लिखित परीक्षा :– शारीरिक अर्हता परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, जो हिन्दी में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ली जायेगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें सामान्य गणित हेतु 50 अंक तथा सामान्य अध्ययन व सामान्य हिन्दी हेतु 50 अंक के प्रश्न पत्र होगें। लिखित परीक्षा हिन्दी में होगी। परीक्षा कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा – भत्ता देय नही होगा।

(नोटः– प्रश्न मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।)

शारीरिक परीक्षा :– 1. **पुरूष अभ्यर्थियों**– को अपने पीठ में 10 Kg. का भार लेकर 25 Km. की दूरी तेज चाल में चलकर 4 घण्टें में पूरी करनी होगीं

2. **महिला अभ्यर्थियों** – अभ्यर्थियों को अपने पीठ में 05 Kg. का भार लेकर 15 Km. की दूरी तेज चाल में चलकर 4 घण्टें में पूरी करनी होगीं।

नोटः –

1 आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे के पुष्टि में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी,, तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ **22 सेमी0 x 10 सेमी0** आकार के दो लिफाफे जिनमें प्रत्येक पर रुपया 30/– का डाक टिकट चस्पा किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

3. पक्ष समर्थन हेतु किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सिफारिश आपके आवेदन को अयोग्य कर सकता है।

4. अभ्यर्थी की पात्रता तथा अर्हता के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय प्रभागीय वनाधिकारी व उनके द्वारा गठित समिति को होगा।

5. किसी पद पर भर्ती करने या न करने का निर्णय का अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा या गठित समिति को होगा।

6. उत्तराखण्ड /उत्तर प्रदेश परिषद् की *हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण का सक्षम अधिकारी द्वारा* प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

7. अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

8. सभी औपचारिकताओं सहित पूर्ण आवेदन पत्र बंद लिफाफे में इस कार्यालय के पतें पर **बिलम्बतम दिनांक 19–03–2010** को निर्धारित अवधि तक प्राप्त हो जाने चाहिए। अभ्यर्थी अपने आवदेन पत्र को केवल *पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के माध्यम से भिजवायें डाक अथवा कोरियर* की देरी के कारण समय से आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में विभाग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र भेजते समय बंद लिफाफे के बाहर खुली भर्ती हेतु अभ्यर्थी '**वन आरक्षी परीक्षा हेतु आवदेन खुली भर्ती**' अवश्य लिखें।

10. उक्त सूचना व आवेदन का प्रारुप प्रभागीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है/प्राप्त किया जा सकता है।

11. आवेदन पत्र विभाग की साइट **www.uttaranchalforest.org** से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

(प्रेम कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

वन आरक्षी (वन रक्षक), के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

आवेदन संख्या-----------------------------

प्राप्ति तिथि ------------------------------

1. आवेदक का पूरा नाम...
2. पिता/पति का नाम...
3. माता का नाम...
4. जन्मतिथि...
5. लिंग ✓ पुरूष ☐ महिला ☐
6. स्थाई पता..
   ....
   ....

अभ्यर्थी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करे।

7. पत्र व्यवहार का पता...
   ....
   ....
8. दूरभाष संख्या (यदि हो)..
9. ई–मेल (यदि हो) ....
10. भर्ती का स्रोत ✓ करें
    1. खुली प्रतिस्पर्धा ☐
    2. उत्तराखण्ड वन विभा के सामयिक मजदूर ☐
11. आरक्षण की श्रेणी * (यदि चाहते हो तो ✓ करें)

    अनारक्षित* ☐ अनुसूचित जाति* ☐ अनुसूचित जनजाति* ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐

12. क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी ✓ करें –

    भूतपूर्व सैनिक* ☐ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के अश्रित * ☐ महिला* ☐ खिलाड़ी * ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐

13. उत्तराखण्ड के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का विवरण (केवल खुली प्रतिस्पर्धा हेतु)*
    1. रोजगार कार्यालय का नाम ....
    2. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक ....
14. उत्तराखण्ड वन विभाग में कब से कार्यरत है (केवल सामयिक मजदूरों के लिए)
15. शैक्षिक योग्यता :–

    हाईस्कूल* ☐ इण्टरमीडिएट * ☐ स्नातक* ☐ स्नातकोत्तर* ☐ अन्य ☐

16. वर्तमान में वन विभाग के किस कार्यालय/प्रभाग में कार्यरत है –

घोषणा

1. मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि विज्ञप्ति में दी गयी पात्रता की शर्तें मुझे मान्य है और ये शर्तें मैं पूरा करता /करती हूँ ।

2. आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनायें मेरी जानकारी व विश्वास से सही है । कोई प्रविष्टि गलत होने/पाये जाने पर मुझे चयन प्रक्रिया से बंचित किये जाने पर मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा । यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्तऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें स्वतःसमाप्त मानी जायेगी ।

<u>संलग्नों की संख्या व विवरण</u>

1..2..3....................................4...................................5..........................

दिनांकः – –2010

स्थानः

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें–</u>

1) समस्त तारांकित (*) क्रमांकों के पक्ष से राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित वैध प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
2) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण– पत्र ।
3) प्रवेश पत्र में प्रमाणित फोटो एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कराना अनिवार्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम एव पता

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

वन आरक्षी (वन रक्षक) की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र

अनुक्रमांक............................ परिक्षार्थी का नाम..पिता/पति का नाम...

परीक्षा केन्द्र का नाम..परीक्षा तिथि..

अभ्यर्थी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करे।

परिक्षार्थी के हस्ताक्षर (परीक्षा तिथि को) | परीक्षक के हस्ताक्षर (परीक्षा तिथि को) | जारी करने वाले के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 1975/6–1 दिनांक, अल्मोड़ा, 03 मार्च, 2010

सेवा में,

1– **सम्पादक,**
अमर उजाला,
कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

2– **सम्पादक,**
दैनिक जागरण,
कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

विषय :– विज्ञप्ति प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संलग्न विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में विस्तृत रूप से प्रकाशित करने की कृपा करें तथा भुगतान देयक जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा के माध्यम से इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रेम कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

पत्रांक –1975/6–1 उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त उतराखण्ड, अल्मोड़ा को उनकी पत्र क–1230/1–14(3) दिनांक 24–02–2010 के क्रम में मय संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा को मय संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(प्रेम कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा